

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

सहायक कलेक्टर (SDO)

अज अदालत..... मुकाम.....

बायत

बनाम

नारायण

जीयाराध कर्जेटा

किस्म मुकदमा..... नं..... सन्.....

राजस्थान 11/120

35

सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/1/2018	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री..... ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा..... राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक.....को पेश हो।</p> <p>सहायक कलेक्टर (SDO) बायत</p>	
07/02/18	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी- गणों के नोटिस तामिल बुझा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित। मत वास्ते वदम पत्रावली दिनांक 27/02/2018 को पेश हो।</p>	
27/02/18	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित। प्रार्थी के अभिपन्न ही उपस्थित वदम सुनी गई, प्रार्थी के अभिपन्न ने वतमा ही प्रार्थी</p>	

को अपने प्यालेदारी प्येलों के चारों ओर पक्षी  
नेषम स्थापित करने आवश्यक है इसलिए  
पक्षी द्वारा उड़ते नेषमवनी फाईन स्वीडर  
विभा जाडर नेषमवनी फाईन विभा जाके।

अतः पक्षी को नेषमवनी फाईन-  
उन स्वीडर विभा जाडर लहरीलडा वामपु को  
उमिमानर निमुक्त विभा जाता है व फाईन विभा  
जाता है कि काय स्वमं या अपने अश्रितक  
विमी भी अ-अभिलेख्य निरिस्तु के पक्षी के  
प्यालेदारी प्येलों की पक्षी नेषमवनी फाईन पर  
शुल्क जमाडरडर के, पालना रिपोर्ट प्राप्त होने  
पर शामिल पत्रावली है, पत्रावली जेसल शुमार  
है, दर्ज नम्बर के उम है, दाखिल इफ्तार है।



सहायक पत्रावली 1000  
बाधित

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक/वाद/2018/255

दिनांक:- 27/2/2018

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

1. श्री तगाराम पुत्र मंगनाराम  
वगैरा 12 निवासी काकड़ों व  
बनोणी मूढ़ों की ढाणी, बायतु  
पनजी तह. बायतु जिला  
बाडमेर

1. श्री जीयाराम पुत्र ताजाराम वगैरा  
35 निवासी बनोणी मूढ़ों की  
ढाणी, बायतु पनजी तह. बायतु  
जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 35/18

### आदेश

मौजा काकड़ों व बनोणी मूढ़ों की ढाणी पटवार हल्का बायतु पनजी के खेत खसरा नम्बर 133/65 रकबा 63.00 बीघा, मौजा लीलाला के खेत खसरा नम्बर 163 रकबा 99.11 बीघा, मौजा जांदुओं की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 65 रकबा 62.14 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भूअनिरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों का सीमाज्ञान कर, पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक/वाद/2018/256-260  
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु।
2. पटवारी हल्का बायतु पनजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री तगाराम पुत्र मंगनाराम वगैरा 12।
4. विप्रार्थीगण श्री जीयाराम पुत्र ताजाराम वगैरा 35।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, बायतु।

(हेताराम चौहान)  
उपखण्ड अधिकारी, बायतु  
दिनांक 27/2/18  
बायतु

उपखण्ड अधिकारी, बायतु  
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड)  
बायतु